प्रेस नोट दिनांक 27/09/2021
थाना देवरनियां जनपद बरेली ।

थाना देवरनियां #bareillypolice द्वारा हत्या/बलात्कार की घटना का सफल अनावरण कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर आला कत्ल रस्सी बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेड़ी, बरेली के निर्देशन में थाना देवरनियां पर दिनांक 21/9/2021 को पंजीकृत मु0अ0सं0 330/2021 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये अभियुक्त भगवत शरण पुत्र राकेश निवासी गुलडिया मोहम्मद हुसैन थाना देवरनियां जिला बरेली की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी । दिनांक 27/09/2021 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की उपरोक्त मुकदमें में वांछित चल रहा अभियुक्त कठर्रा ढाल पर कहीं जाने की फिराक में खडा है । मुखबिर की सूचना पर भगवत शरण पुत्र राकेश निवासी गुलडिया मोहम्मद हुसैन थाना देवरनियां जिला बरेली को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ करने पर जुर्म से इकबाल करते हुए बताया कि पप्पू की लडकी देवलता से मेरे करीब 6 माह पूर्व से प्रेम सम्बन्ध हो गये थे । मैने उसके साथ जंगल में ले जाकर दो-तीन बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये । अब से करीब 3 महीने पहले देवलता ने मुझसे कहा की मेरे तुम्हारा बच्चा ठहर गया है । बच्चा गिराने के लिये दवायी ले आओ मैंने उसे कठर्रा से अनवान्टेड नाम की दवाई लाकर दे दी थी । उसने दवाई खाई पर बच्चा नहीं गिरा मैने उसे एक-दो बार और दवाई खिलाई तब भी बच्चा नहीं गिरा तब देवलता ने कहा कि अब बच्चा पांच-छः महीने का होने वाला है । अब मैने घर वाले व गांव मौहल्ले के लोग जान जायेगे तब हम क्या बतायेगें । मैने सोचा कि यह बात अगर सबको पता चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी और गांव में मुहँ दिखाने लायक नहीं रहेगें । तब मैने दिनांक 19/9/2021 की रात करीब 01.30 बजे देवलता को उसके घर से बुलाकर गंगा सिंह के प्लाट के पास लेकर आया और उसके गले मे रस्सी डालकर रस्सी से गला घोट कर उसे मार दिया । रस्सी मैने वहीं थोडी दूर पर खेत में फैक दी थी । आप मुझे साथ ले चले तो वह रस्सी मै आपको दे दूंगा । अतः अभियुक्त की निशान देही पर घटनास्थल से करीब 70-80 कदम पर आला कत्ल रस्सी बरामद की गयी तथा मु0अ0सं0 330/2021 में धारा 376 भादवि व धारा 5(ञ)(2)/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । थाना देवरनियां पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त भगवत शरण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. भगवत शरण पुत्र राकेश उम्र 20 वर्ष निवासी गुलडिया मोहम्मद हुसैन थाना देवरनियां जिला बरेली

अभि0 का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 330/2021 धारा 302/376 भादवि व धारा 5(ञ)(2)/6 पॉक्सो एक्ट

बरामदगी का विवरणः-

1. एक रस्सी आला कत्ल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार
2. का0 2720 शान्तिस्वरूप
3. का0 2745 लवी